प्रारंभिक परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(International Monetary Fund-IMF)

संदर्भ

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने **भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल** को **तीन वर्ष के कार्यकाल** के लिए **IMF में कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त** करने को मंजूरी दे दी है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में -

- **यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। (मुख्यालय- वाशिंगटन डीसी)**
- **सदस्य:** 190 देश
- **यह केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है।**
- **IMF द्वारा जारी रिपोर्टें:**
    - **विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO):** वैश्विक आर्थिक रुझानों और पूर्वानुमानों का विश्लेषण करने वाली एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट।
    - **वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR):** वैश्विक वित्तीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करती है और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों का आकलन करती है।
- **IMF की ऋण सुविधाएं:** विस्तारित निधि सुविधा, त्वरित वित्तपोषण साधन, त्वरित ऋण सुविधा।

IMF की संरचना -

- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:** IMF का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय। प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। ये बोर्ड प्रमुख नीतियों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों की समीक्षा के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं।
- **कार्यकारी बोर्ड:** 24 कार्यकारी निदेशकों से बना यह बोर्ड IMF के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
- **प्रबंध निदेशक:** प्रबंध निदेशक IMF और उसके कर्मचारियों का प्रमुख होता है।

कोटा प्रणाली -

- **IMF एक कोटा प्रणाली पर काम करता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। किसी सदस्य का कोटा उसके सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार खुलेपन और अन्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है।**
- कोटा प्रत्येक सदस्य देश के वित्तीय योगदान, मतदान शक्ति और IMF संसाधनों तक पहुँच को निर्धारित करता है। कोटा को विशेष आहरण अधिकार (SDR) में दर्शाया जाता है, जो IMF की लेखा इकाई है।
- किसी देश की मतदान शक्ति सीधे उसके कोटे से जुड़ी होती है; कोटा जितना ज़्यादा होगा, उस देश की मतदान शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। अमेरिका का कोटा और मतदान हिस्सा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जापान, चीन और जर्मनी का नंबर आता है।
- **भारत के पास कुल कोटा का 2.75% हिस्सा है, जिससे यह 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश बन गया है।**

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न.''रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट'' और ''रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी'' निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण देने के प्रावधानों से संबंधित हैं? (2022)

(a) एशियाई विकास बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
(d) विश्व बैंक

उत्तर: (**b**)

समुद्रयान और गहरे समुद्र में अन्वेषण की चुनौतियाँ

संदर्भ

इस महीने की शुरुआत में, दो भारतीय "जल यात्रियों(aquanauts)" ने भारत की समुद्रयान परियोजना की तैयारियों के एक भाग के रूप में फ्रांसीसी पोत नॉटाइल पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में गहरे समुद्र में मिशन चलाया था।

समुद्रयान मिशन के बारे में -

- **समुद्रयान, डीप ओशन मिशन (DOM) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।**
- **इसका उद्देश्य 'मत्स्य 6000' नामक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन का उपयोग करके 6,000 मीटर तक की समुद्री गहराई का अन्वेषण करना है।**
- भारत उन विशिष्ट देशों - अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान - के समूह में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने सफल चालक दल वाले गहरे समुद्र मिशन संचालित किए हैं।
- **उद्देश्य और अवसर:**
    - गहरे समुद्र में अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना।
    - सजीव और निर्जीव महासागर संसाधनों का आकलन करने में सक्षम बनाना।
    - महासागर अवलोकन प्रणालियों को मजबूत करना।
    - भविष्य में गहरे समुद्र में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाना।

मत्स्य 6000 के बारे में -

- **यह चौथी पीढ़ी की, स्व-चालित, मानव-सक्षम गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है।**
- इसका विकास **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई** द्वारा किया जा रहा है।
- इसने सफलतापूर्वक वेट टेस्टिंग पूरी कर ली है।
- **सहन क्षमता(Endurance):**
    - सामान्य मिशन के दौरान 12 घंटे।
    - आपातकालीन स्थितियों में 96 घंटे तक।

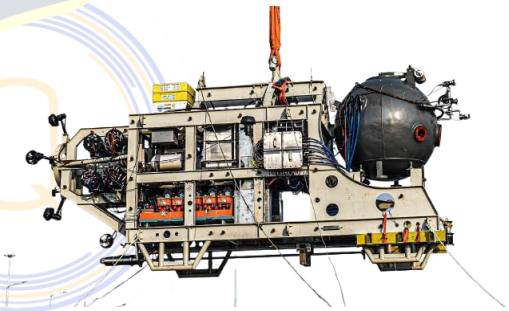

डीप ओशन मिशन (DOM) के बारे में -

- **नोडल मंत्रालय**: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- **प्रारंभ:** 2021 में, 5 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य।
- **उद्देश्य**: गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाना और टिकाऊ उपयोग के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- **यह भारत के ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों का समर्थन करता है।**

मिशन की चुनौतियाँ -

- **दाब सहन क्षमता:** पनडुब्बी को वायुमंडलीय दाब से 600 गुना अधिक दाब सहने में सक्षम होना चाहिए; इसके लिए सटीक वेल्डिंग वाली टाइटेनियम मिश्रधातु की गोलाकार संरचना आवश्यक है।
- **रहने योग्य वातावरण:** 20% ऑक्सीजन बनाए रखना, स्क्रबर द्वारा CO_2 को हटाना और आपात स्थिति में री-ब्रीदर यूनिट का उपयोग करना।
- **एक्वानॉट का स्वास्थ्य और सुरक्षा:** चालक दल का सर्वोत्तम शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक; भोजन/पानी का सेवन अत्यंत सीमित (जैसे 9 घंटे के परीक्षण में सूखे मेवे का उपयोग)।
- **संचार बाधाएँ:** पानी के भीतर रेडियो का उपयोग संभव नहीं; ध्वनिक टेलीफोन विकसित किया गया, जो लवणता और तापमान संबंधी समस्याएँ हल करने के बाद सफलतापूर्वक काम कर पाया।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

क्रय शक्ति समता सूचकांक(Purchasing Power Parity Index-PPP)

संदर्भ

EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2038 तक क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

क्रय शक्ति समता (PPP) सूचकांक के बारे में -

- **PPP सूचकांक विभिन्न देशों में मूल्य स्तर के अंतर के लिए जीडीपी और आय को समायोजित करता है, जिससे यह नाममात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीवन स्तर और आर्थिक आकार की तुलना करने के लिए एक बेहतर उपकरण बन जाता है।**
- यह दर्शाता है कि किसी देश की मुद्रा से दूसरे देश में समान वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी खरीदने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी।
- **बाजार विनिमय दर (MER) से अंतर:**
    - **PPP:** जीवन-यापन की लागत और वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाता है।
    - **MER:** विदेशी मुद्रा बाजारों में मुद्राओं की मांग-आपूर्ति को दर्शाता है।
- **PPP के अनुसार शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएँ:** 1. चीन 2. अमेरिका 3. भारत

भारत के उत्थान का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है?

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** 2025 में औसत आयु: **28.8 वर्ष** → वृद्ध होते पश्चिम और चीन की तुलना में युवा कार्यबल।
- **मजबूत बचत और निवेश दरें:** उच्च घरेलू बचत → बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए वित्तपोषण।
- **ऋण स्थिरता:** सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात **81.3% (2024) से** घटकर **75.8% (2030) हो जाने का अनुमान है**।
- **संरचनात्मक सुधार और प्रौद्योगिकी:** जीएसटी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), पीएलआई योजनाएं, एआई और डिजिटल अपनाना।
- **विजन 2047:** यह प्रक्षेप पथ 2047 तक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्रोत: डीडी इंडिया

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट
(Air Quality Life Index Report - AQLI)

संदर्भ

AQLI 2025 रिपोर्ट में भारत में विशेषकर दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में PM2.5 के उच्च स्तर को उजागर किया गया है।

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट (AQLI) के बारे में -

- **यह रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।**
- यह संस्करण वर्ष **2023** के प्रदूषण आंकड़ों पर आधारित है।
- **उद्देश्य**: **PM2.5** प्रदूषण के दीर्घकालिक संपर्क का औसत आयु पर प्रभाव मापना।

प्रमुख निष्कर्ष - भारत

- **औसत जीवन प्रत्याशा हानि**: PM2.5 के संपर्क के कारण **3.5 वर्ष।**
- भारत का **PM2.5 सान्द्रण (2023): 41 µg/m³** (राष्ट्रीय औसत)।
    - WHO की सुरक्षित सीमा: **5 µg/m³**
- भारत की **46% आबादी** ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ **PM2.5** का स्तर राष्ट्रीय मानक (**40 µg/m³**) से अधिक है।
- **दिल्ली (सबसे अधिक प्रभावित):**
    - **PM2.5 स्तर (2023): 88.4 µg/m³**
    - **जीवन प्रत्याशा हानि:** 8.2 वर्ष
    - यदि दिल्ली WHO मानक (5 µg/m³) तक पहुँच जाए → निवासियों की आयु में **8 वर्ष की वृद्धि होगी**।
    - यदि दिल्ली राष्ट्रीय मानक (40 µg/m³) तक पहुँच जाए → निवासियों की आयु में **4.7 वर्ष की वृद्धि होगी**।
- **अन्य उत्तरी मैदानी राज्यों की स्थिति:**
    - **बिहार**: 5.4 वर्ष का नुकसान
    - **हरियाणा**: 5.3 वर्ष
    - **उत्तर प्रदेश**: 5 वर्ष

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2024

संदर्भ

हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का छठा संस्करण जारी किया।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 के बारे में -

- **जारीकर्ता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन (AEEE) द्वारा।
- **कवरेज:** वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन।
- **उद्देश्य:** नेट ज़ीरो 2070 विजन को प्राप्त करने के लिए डेटा-संचालित निगरानी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **रूपरेखा:** भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम और क्रॉस-सेक्टर में 66 संकेतक।
- **फोकस क्षेत्र:** ईवी नीतियां, स्टार रेटेड इमारतें, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना।
- **राज्यों का वर्गीकरण:** अग्रणी (>60%), सफल (50-60%), दावेदार (30-50%) और आकांक्षी (<30%)।
- **संबंधित श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता 2024:**
    - महाराष्ट्र (समूह 1)
    - आंध्र प्रदेश (समूह 2)
    - असम (समूह 3)
    - त्रिपुरा (समूह 4)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) -

- **BEE की स्थापना 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।**
- **नोडल मंत्रालय:** विद्युत मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
    - सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।
    - भारत की ऊर्जा तीव्रता (जीडीपी की प्रति इकाई ऊर्जा उपयोग) को कम करना।
- **महत्वपूर्ण कार्य**:
    - मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (उपकरणों पर स्टार रेटिंग) लागू करना।
    - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) विकसित करना।
    - उद्योगों के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना को बढ़ावा देना।
    - ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण प्लेटफार्म (EEFP) को लागू करना।

स्रोत: पीआईबी

पर्पल नोटिस-इंटरपोल

संदर्भ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है।

इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) के बारे में -

- **यह एक अंतर-सरकारी कानून प्रवर्तन संगठन है, जो अपने सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को समन्वित करने में मदद करता है।**
- **मुख्यालय:** ल्योन, फ्रांस
- **सदस्य:** 196 देश (भारत भी सदस्य है)

इंटरपोल नोटिस के प्रकार

नोटिस	उद्देश्य
रेड नोटिस 🔴	• **प्रत्यर्पण तक वांछित व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करना। (सबसे प्रसिद्ध)**
ब्लू नोटिस 🔵	• किसी व्यक्ति का पता लगाना या उसकी पहचान करना, या जानकारी एकत्र करना।
ग्रीन नोटिस 🟢	• किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना जब वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
येलो नोटिस 🟡	• गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों का पता लगाना, या स्वयं की पहचान करने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करना।
ब्लैक नोटिस ⚫	• **अज्ञात शवों की पहचान करना।**
ऑरेंज नोटिस 🟠	• किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देना जो गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करती हो।
पर्पल नोटिस 🟣	• **अपराधियों द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों या छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।**
सिल्वर नोटिस ⚪	• **विश्व स्तर पर वांछित अपराधियों की संपत्तियों पर नज़र रखना। (पायलट चरण में जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया)।**
इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र विशेष नोटिस	• संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI-2025)

संदर्भ

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI) 2025 जारी किया गया।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं -

- **राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर**: 65% (शहरों को इस अंक से "काफी ऊपर", "ऊपर", "नीचे" या "काफी नीचे" के रूप में स्थान दिया गया है)।
- **सबसे सुरक्षित शहर**: कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई।
- **सबसे कम सुरक्षित शहर**: पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची।

सुरक्षा धारणाओं पर निष्कर्ष -

- **10 में से 6 महिलाएँ** स्वयं को "सुरक्षित" महसूस करती हैं; **40% महिलाएँ** "असुरक्षित" या "कम सुरक्षित" महसूस करती हैं।
- **उच्च उत्पीड़न दर:** 2024 के आँकड़ों के अनुसार **7% महिलाओं** ने सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न की घटनाएँ रिपोर्ट कीं।
- **सबसे अधिक संवेदनशील समूह: 24 वर्ष से कम आयु की युवा महिलाएँ**, जिनमें **14% ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई।**
- **सामान्य प्रकार:** मौखिक उत्पीड़न सबसे अधिक (**58%**); अन्य में शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न शामिल।
- **हॉटस्पॉट: पड़ोस (38%)** और **परिवहन (29%)** क्षेत्र।

उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रियाएँ -

- **28%** ने उत्पीड़कों का सामना किया।
- **25%** ने स्थान छोड़ दिया।
- **21%** ने भीड़ में सुरक्षित स्थान खोजा।
- **20%** ने अधिकारियों को रिपोर्ट किया।

सुरक्षा प्रणालियों में विश्वास -

- रात के समय सुरक्षा की धारणा में तीव्र गिरावट, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन स्थलों पर।
- 86% महिलाएँ दिन में शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन अंधेरा होते ही यह विश्वास घटता है।
- **रिपोर्टिंग अंतराल**:
    - केवल 3 में से 1 पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई।
    - केवल 4 में से 1 महिला को विश्वास था कि अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
    - रिपोर्ट किये गये मामलों में से केवल 22% ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत किये गये।
    - केवल 16% मामलों में कार्रवाई की गई।
- **कार्यस्थल सुरक्षा**: 53% लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके कार्यस्थल पर POSH नीति है या नहीं।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस, दहिंदू

समाचार संक्षेप में

बर्मी पायथन (पायथन बिविटेटस)

समाचार?
फ्लोरिडा के अधिकारी एवरग्लेड्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बने आक्रामक बर्मीज अजगरों(Burmese pythons) को लुभाने और फंसाने के लिए रोबोट खरगोशों का उपयोग कर रहे हैं।

इसके बारे में -

- **वितरण:** दक्षिण पूर्व एशिया (भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन) का मूल निवासी।
- **विशेषताएँ:**
  - **आकार: दुनिया के सबसे बड़े साँपों में से एक; 5-7 मीटर (16-23 फीट) तक बढ़ सकता है और इसका वजन 90 किलोग्राम से अधिक हो सकता है।**
  - **आहार:** मांसाहारी; स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि घड़ियालों को भी खा सकते हैं। फ्लोरिडा में इनके कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं हैं।
  - **प्रजनन:** बड़ी संख्या में अंडे देते हैं (एक बार में 30-80), जिससे जनसंख्या नियंत्रण कठिन हो जाता है।
  - **छलावरण:** वनस्पति में घुल-मिल जाने में उत्कृष्ट, जिससे उन्हें पहचानना और पकड़ना कठिन हो जाता है।
- **संरक्षण स्थिति (मूल निवास स्थान):** निवास स्थान के नुकसान और त्वचा/मांस के लिए शिकार के कारण IUCN द्वारा **असुरक्षित** के रूप में सूचीबद्ध।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

मिलमेडिकॉन(MILMEDICON) 2025

समाचार?
भारत ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में MILMEDICON-2025 की मेजबानी की।

इसके बारे में -

- **यह सैन्य चिकित्सा (Military Medicine) पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है।**
- **फोकस:** सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात।
- चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) द्वारा आयोजित।
- **इसका उद्देश्य सैन्य स्वास्थ्य सेवा को उन्नत करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए तैयार चिकित्सा समाधान तैयार करना है।**
- भारतीय सेना की "सुधार वर्ष" पहल का हिस्सा।

स्रोत: द हिंदू

टाइफून काजिकी (Typhoon Kajiki)

समाचार?
टाइफून काजीकी ने उत्तरी थाईलैंड को प्रभावित किया, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 15 घायल हो गए और कई लापता हो गए।

इसके बारे में -

- पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है।

	• इसकी शुरुआत फिलीपींस से हुई, दक्षिण चीन सागर में यह मजबूत हुआ और चीन तथा वियतनाम तक पहुंचा। **उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में -** • **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनने वाला तीव्र गति से घूमने वाला तूफानी तंत्र है, जिसकी विशेषताएँ हैं: **निम्न दाब का केंद्र (जिसे "आँख" कहा जाता है), तेज़ घूर्णनशील हवाएँ, भारी वर्षा और आंधी-तूफान।** • **गठन के लिए शर्त:** कम से कम 26–27°C (79–81°F) का गर्म महासागरीय तापमान ○ वातावरण में उच्च नमी सामग्री ○ कम से मध्यम पवन कतरनी ○ चक्रवाती घूर्णन आरंभ करने के लिए कोरिओलिस बल (पृथ्वी के घूर्णन के कारण)। • **क्षेत्रीय नाम:** ○ **विली-विली** (ऑस्ट्रेलिया) ○ **हरिकेन** (उत्तरी अटलांटिक) ○ **टाइफून** (पश्चिमी उत्तर प्रशांत) **स्रोत:** द हिंदू
दारुमा गुड़िया 	**समाचार?** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हाल ही में जापान यात्रा के दौरान एक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। **इसके बारे में -** • **यह एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जिसे बोधिधर्म के आधार पर बनाया गया है, जो एक भारतीय भिक्षु थे जिन्होंने जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना की थी।** • यह दृढ़ता, लचीलापन और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है; अक्सर इसे लक्ष्य प्राप्ति से जोड़ा जाता है। • जापान में प्रेरणा, नव वर्ष समारोह और लक्ष्य निर्धारण अनुष्ठानों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। **स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS-2025)	**समाचार?** भारत ने हाल ही में कोच्चि में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (**IONS**) के अंतर्गत उभरते नेताओं की पैनल चर्चा की मेजबानी की। **IONS के बारे में -** • **यह एक स्वैच्छिक, समावेशी क्षेत्रीय समुद्री सहयोग मंच है।** • **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और सहयोग को बढ़ाना। • **सदस्य:** 25 सदस्य + 9 पर्यवेक्षक देश। • **पात्रता:** एक राष्ट्र राज्य जिसका स्थायी भूभाग या सीमा हिंद महासागर के साथ हो और जिसके पास नौसेना या समुद्री एजेंसी हो • **IONS की अध्यक्षता:** सदस्य देशों के बीच हर 2 साल में बारी-बारी से। **भारत 2025-27 के दौरान अध्यक्षता करेगा।**

एआई शासन पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए यूएनजीए की नई पहल	**समाचार?** संयुक्त राष्ट्र महासभा(UNGA) ने हाल ही में दो नए वैश्विक तंत्रों का शुभारंभ किया है - एआई पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई शासन पर एक वैश्विक संवाद। **एआई पर संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक पैनल के बारे में -** • यह विज्ञान और नीति के बीच सेतु बनाने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। • **कार्य:** ○ वैश्विक एआई शासन को सूचित करने के लिए वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना। ○ एआई से संबंधित खतरों, अवसरों और प्रौद्योगिकियों की सामान्य समझ को बढ़ावा देना। ○ एआई के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रभावों पर सलाह देना। **एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद के बारे में** - • संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत नया बहुपक्षीय, समावेशी मंच। • यह सदस्य देशों, उद्योग, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। • **उद्देश्य:** पूर्वाग्रह, गलत सूचना, स्वायत्त हथियार, नौकरी छूटने जैसी एआई चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा। **दोनों पहल संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के तहत स्थापित की गई हैं, जिस पर भविष्य के शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी।** **स्रोत:** डाउन टू अर्थ

मुख्य परीक्षा

भारत में दहेज: एक सामाजिक बुराई जो कायम है

संदर्भ

उत्तर प्रदेश में निक्की भाटी की कथित दहेज-संबंधी मृत्यु (2025) जैसे हालिया मामले इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार दहेज की सदियों पुरानी प्रथा, दशकों से कानूनी प्रतिबंध के बावजूद महिलाओं के लिए खतरा बनी हुई है।

दहेज के बारे में -

- **दहेज, विवाह के समय दुल्हन के परिवार से धन, संपत्ति या उपहार मांगने की प्रथा, भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयों में से एक है।**
- **1961 से कानूनी प्रतिबंधों** के बावजूद, यह प्रथा जाति, वर्ग, ग्रामीण और शहरी परिवेश में आज भी मौजूद है।
- **2022 में, एनसीआरबी ने 6,589 दहेज हत्याएँ दर्ज कीं, जिसका अर्थ है कि औसतन हर 80 मिनट में एक महिला दहेज संबंधी हिंसा के कारण मरती है।**
- यह दर्शाता है कि दहेज केवल एक निजी पारिवारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और जातिगत गतिशीलता से जुड़ी एक सामाजिक समस्या है।

दहेज की मांग के पीछे के कारण/कारक -

- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:**
  - **पितृसत्ता**: महिलाओं को आर्थिक दायित्व और पुरुषों को कमाने वाला समझना।
  - **विवाह एक लेन-देन है**: दहेज को पत्नी को घर लाने के लिए मुआवजे के रूप में देखा जाता है।
  - **जाति एवं सामुदायिक मानदंड**: जाति पंचायतें अक्सर दहेज की मांग को परंपरा के रूप में वैध ठहराती हैं।
  - **लैंगिक असमानता:** बचपन से ही लड़कियों को परिवार के सम्मान को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कों को संपत्ति समझा जाता है।
- **आर्थिक कारक:**
  - **लालच और बढ़ता उपभोक्तावाद**: परिवार नकदी, सोना, कार या संपत्ति की मांग करते हैं।
  - **महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी**: महिलाओं की सीमित आर्थिक स्वतंत्रता इस विश्वास को बनाए रखती है कि दहेज वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **संस्थागत कमजोरियाँ:**
  - **कानूनों का अप्रभावी प्रवर्तन**: कम दोषसिद्धि दर पीड़ितों को रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है।
  - **सामाजिक कलंक**: परिवार पुलिस/कानूनी कार्रवाई से बचते हैं, न्याय के बजाय "सम्मान" को प्राथमिकता देते हैं।

दहेज के प्रभाव -

- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:** महिलाओं को उत्पीड़न, मारपीट, वैवाहिक बलात्कार और चरम मामलों में मृत्यु का सामना करना पड़ता है।
- **कन्या भ्रूण हत्या और विषम लिंग अनुपात:** दहेज के डर से परिवार बेटियों की अपेक्षा बेटों को प्राथमिकता देते हैं।
  - इससे भारत में **जन्म के समय लिंगानुपात बिगड़ता है (एनएफएचएस-5 में एसआरबी ~ 929)**।
- **ऋण और गरीबी का चक्र:** गरीब परिवार अक्सर दहेज देने के लिए ऋण लेते हैं या जमीन बेचते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी पैदा होती है।

- **महिलाओं की स्वतंत्रता का नुकसान:** महिलाएं कलंक और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के कारण दुर्व्यवहारपूर्ण विवाह से बाहर नहीं निकल पाती हैं।
- **पितृसत्ता को कायम रखना:** दहेज पुरुष वर्चस्व को मजबूत करता है और विवाह में महिलाओं की अधीनता को सामान्य बनाता है।

दहेज प्रथा से निपटने में चुनौतियाँ -

- **सांस्कृतिक वैधता:** दहेज को अक्सर "उपहार" या "स्त्रीधन" के रूप में छिपाया जाता है, जिससे इसे लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **सामुदायिक दबाव:** परिवार अपनी जाति या समुदाय में बदनामी के डर से मामले दर्ज कराने से बचते हैं।
- **पितृसत्तात्मक संस्थाएं:** जाति पंचायतें न्याय के स्थान पर मेल-मिलाप को बढ़ावा देती हैं, तथा महिलाओं को दुर्व्यवहार वाले घरों में वापस भेज देती हैं।
- **कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन:** दहेज कानूनों के तहत दोषसिद्धि की दर कम बनी हुई है। पुलिस अक्सर दुरुपयोग की बहस के डर से शिकायतों को हतोत्साहित करती है।
- **महिलाओं के लिए कलंक:** महिलाओं को **दोहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है,** विवाह विफलता के लिए सामाजिक दोष और जन्मजात पारिवारिक समर्थन की कमी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम -

कानूनी ढांचा

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961: दहेज देना/लेना गैरकानूनी है।**
- **आईपीसी धारा-498A**: पति/ससुराल वालों द्वारा क्रूरता एक आपराधिक अपराध है।
  - **बीएनएस धारा 85 और 86** द्वारा प्रतिस्थापित।
- **आईपीसी धारा 304B:** "दहेज मृत्यु" को परिभाषित करती है; सजा: 7 वर्ष-आजीवन कारावास।
  - **बीएनएस धारा 80** द्वारा प्रतिस्थापित।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा-113B**: यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है तो दहेज मृत्यु की धारणा।
- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005**: विवाह में दुर्व्यवहार के विरुद्ध व्यापक संरक्षण।

योजनाएँ और अभियान

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** इसका उद्देश्य बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग**: हेल्पलाइन, परामर्श, कानूनी सहायता।
- **राज्य अभियान**: केरल का दहेज को ना कहें, हरियाणा का सेल्फी विद डॉटर पहल।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय -

- **कंस राज बनाम पंजाब राज्य (2000):** लगातार उत्पीड़न दहेज हत्या के बराबर हो सकता है।
- **सत्य नारायण तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)**: दहेज हत्याओं में कठोर दंड की आवश्यकता दोहराई गई।
- **राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017)**: आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए (बाद में कमजोर कर दिए गए)।
- **पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह (1991):** परिस्थितिजन्य साक्ष्य दहेज मृत्यु को स्थापित कर सकते हैं।

आगे की राह -

- **सामाजिक सुधार:**
  - दहेज प्रथा को चुनौती देने के लिए युवाओं, नागरिक समाज और महिला समूहों को संगठित करना।
  - दहेज को ना कहें जैसे सार्वजनिक अभियानों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए।
- **महिला सशक्तिकरण:**

    - महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में सुधार लाना।
    - वित्तीय साक्षरता, संपत्ति अधिकार और कौशल विकास से आर्थिक निर्भरता कम हो सकती है।
- **सामुदायिक सहभागिता:**
    - रीति-रिवाजों में सुधार के लिए जाति और धार्मिक नेताओं को शामिल करना।
    - पंचायतों को महिलाओं के अधिकारों को "सम्मान" से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- **कानूनी सुदृढ़ीकरण:**
    - दहेज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें।
    - बेहतर पीड़ित सहायता प्रणालियाँ - आश्रय, हेल्पलाइन, परामर्श और कानूनी सहायता।
- **शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन:**
    - स्कूलों और कॉलेजों में लिंग संवेदीकरण।
    - विवाह में समान भागीदारी पर विवाह पूर्व परामर्श।
- **प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता:**
    - गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करना।
    - दहेज मांगने वालों के खिलाफ कलंक पैदा करने के लिए सोशल मीडिया अभियान।

दहेज प्रथा आज भी कायम है क्योंकि इसे सामाजिक स्वीकृति, सांस्कृतिक वैधता और संस्थागत उपेक्षा प्राप्त है। हालाँकि भारत में कड़े कानून हैं, लेकिन गहन सामाजिक परिवर्तन के बिना ये अप्रभावी ही रहेंगे। दहेज प्रथा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, भारत को कानूनी उपायों से आगे बढ़कर सामाजिक सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा।

भारत के लिए ऊर्जा संप्रभुता की आवश्यकता

संदर्भ

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत के लिए, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता एक गंभीर चुनौती बन गई है। खंडित और संघर्ष-ग्रस्त विश्व में, **ऊर्जा संप्रभुता** (निर्बाध, किफायती और स्वदेशी ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता) एक नई रणनीतिक मुद्रा के रूप में उभरी है।

आयातित ऊर्जा पर भारत की निर्भरता -

- **कच्चा तेल**: **भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% आयात करता है**।
- **प्राकृतिक गैस**: गैस की 50% से अधिक मांग आयातित होती है, जिसमें से अधिकांश एलएनजी के माध्यम से होती है।
- **कोयला**: बड़े भंडार के बावजूद, भारत अपनी कोयला जरूरतों का लगभग 20-25% आयात करता है, मुख्य रूप से इस्पात के लिए कोकिंग कोयला।
- **वित्तीय बहिर्वाह**: वित्त वर्ष 23-24 में, अकेले तेल और गैस आयात से भारत को 170 बिलियन डॉलर (माल आयात का 25%) का नुकसान हुआ।
- **भू-राजनीतिक निर्भरता**:
    - **2022 से पूर्व:** पश्चिम एशिया ने 60% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति की।
    - **यूक्रेन युद्ध के बाद: रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया,** जिसने 2024–25 में **35–40% कच्चे तेल का योगदान दिया** (2022 से पहले यह केवल 2% था)।

ऊर्जा निर्भरता के कारण -

- **संसाधन की कमी:**
    - **तेल एवं गैस भंडार**: भारत के सिद्ध भंडार सीमित हैं और घट रहे हैं।
    - **उच्च आयात आवश्यकताएं**: कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन ~30 एमएमटी/वर्ष पर स्थिर हो गया है, जबकि मांग 220 एमएमटी/वर्ष को पार कर गई है।
- **बढ़ती ऊर्जा मांग:**
    - शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और परिवहन विकास द्वारा प्रेरित।
    - भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक दोगुनी हो जाने की उम्मीद है , जिससे आयात और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
- **बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी अंतराल:**
    - धीमी प्रगति (नियामक बाधाओं और कम निवेश के कारण)।
    - बड़े पैमाने पर नवीकरणीय भंडारण क्षमता का अभाव → जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता।
- **नीति और मूल्य निर्धारण कारक:**
    - घरेलू ऊर्जा मूल्य निर्धारण अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है।

ऊर्जा निर्भरता का प्रभाव -

- **आर्थिक प्रभाव:** बड़े आयात बिलों से व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपए पर दबाव पड़ता है।
    - जब उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से बचाने के लिए सब्सिडी का उपयोग किया जाता है तो राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
- **भू-राजनीतिक भेद्यता:** कुछ क्षेत्रों (पश्चिम एशिया, अब रूस) पर अत्यधिक निर्भरता भारत को वैश्विक संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
    - **उदाहरण:** जून 2025 में इजरायल-ईरान तनाव के कारण प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का प्रवाह बाधित हो गया, जिससे तेल की कीमतें 100 डॉलर से अधिक हो जाने का खतरा पैदा हो गया।

- **ऊर्जा असुरक्षा:** आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान (युद्ध, प्रतिबंध, महामारी) से कमी और मूल्य अस्थिरता का खतरा होता है।
- **सामरिक जोखिम:** निर्भरता सामरिक स्वायत्तता को कमजोर करती है, क्योंकि ऊर्जा तक पहुंच विदेश नीति विकल्पों को प्रभावित करती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** आयात पर निर्भरता अक्सर भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में बांध देती है, जिससे हरित परिवर्तन में देरी होती है।

ऊर्जा संप्रभुता की ओर भारत का मार्ग -

- **स्रोतों का विविधीकरण:** पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम हुई (आयात का >60% से घटकर <45% हुआ)। रूस, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका से स्रोत में वृद्धि हुई।

ऊर्जा संप्रभुता के लिए पाँच रणनीतिक स्तंभ

- **कोयला गैसीकरण एवं कार्बन कैप्चर:**
  - भारत में 150 बिलियन टन से अधिक कोयला भंडार है।
  - गैसीकरण से कोयले को सिंथेटिक गैस, मेथनॉल, हाइड्रोजन और उर्वरकों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **जैव ईंधन एवं इथेनॉल सम्मिश्रण:**
  - **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: 2025 तक 20% सम्मिश्रण (E20)** का लक्ष्य।
  - किसानों को पहले ही 92,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं और विदेशी मुद्रा की बचत की जा चुकी है।
  - **सतत योजना**: 500 से अधिक सीबीजी संयंत्र, क्षरित मिट्टी को पुनः स्वस्थ करने के लिए स्वच्छ गैस और जैव-खाद उत्पन्न करेंगे।
- **परमाणु ऊर्जा:**
  - **वर्तमान परमाणु क्षमता:** 8.8 गीगावाट - दशकों से स्थिर।
  - थोरियम रोडमैप, यूरेनियम साझेदारी और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के साथ विस्तार की योजना।
  - परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के पूरक के रूप में शून्य-कार्बन बेसलोड बिजली उपलब्ध कराती है।
- **हरित हाइड्रोजन मिशन:**
  - **लक्ष्य:** 2030 तक 5 एमएमटी/वर्ष।
  - बाहरी निर्भरता से बचने के लिए स्थानीय इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, भंडारण समाधान और प्रौद्योगिकी स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करना।
- **पंपयुक्त जल भंडारण:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तनशीलता को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण।
  - ग्रिड स्थिरीकरण के लिए बड़े पंपयुक्त जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण की अनुमति देती है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा:**
  - स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: 190 गीगावाट (2024) , 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य।
  - वैश्विक साझेदारी (आईएसए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड) के साथ सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार।
- **सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR):** भारत ने लगभग 10 दिनों के आयात के लिए भंडार निर्मित कर लिया है, तथा इसके विस्तार की योजना है।

ऊर्जा सुरक्षा अब केवल जलवायु नीति नहीं, बल्कि एक अस्तित्व-रक्षा रणनीति बन गई है। भारत को विविधीकरण, घरेलू क्षमता और लचीले बुनियादी ढाँचे पर आधारित ऊर्जा संप्रभुता सिद्धांत अपनाना होगा। भविष्य का सबसे मूल्यवान संसाधन तेल नहीं, बल्कि निर्बाध, सस्ती, स्वदेशी ऊर्जा है।